न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 299/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/423)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
मूला राम पुत्र लेखूराम जाति नायक निवासी 2 ओ ए तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर। 2. आशा राम पुत्र धना राम जाति नायक निवासी 2 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर। 3. ओमप्रकाश पुत्र बुधराम जाति नायक निवासी 2 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर। 4. जगदीश राम पुत्र मनफूल राम जाति नायक निवासी 2 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर। 5. जडवंती पत्नी पाला राम जाति नायक निवासी 2 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर। 6. दयाला राम पुत्र धन्ना राम जाति नायक निवासी 2 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर। 7. दुल्ला राम पुत्र मनफूल राम जाति नायक निवासी 2 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर। 8. पतराम पुत्र खेमा राम जाति नायक निवासी 2 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर। 9. ब्रह्मचन्द पुत्र तुलछा राम जाति नायक निवासी 2 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर। 10. बंशी लाल पुत्र रती राम जाति नायक निवासी 2 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर। 11. बादू पत्नी बुधराम जाति नायक निवासी 2 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर। 12. विमला देवी पत्नी जगदीश राम जाति नायक निवासी 2 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर। 13. भंवर लाल पुत्र खींया राम जाति नायक निवासी 2 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर। 14. मनफूल राम पुत्र बुधराम जाति नायक निवासी 2 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर। 15. राजेश कुमार पुत्र जगदीश राम जाति नायक निवासी 2 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर। 16. रोशन लाल पुत्र मनफूल राम जाति नायक निवासी 2 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर। 17. सुरजा राम पुत्र धना राम जाति नायक निवासी 2 ओ ए। - फौत 17/1.मनफूल राम पुत्र सुरजा राम जाति नायक निवासी 2 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर हाल निवासर चक रमाणा तहसील पीलीबंगा, हनुमानगढ़। 17/2.सोहन लाल पुत्र सुरजा राम जाति नायक निवासी 2 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर हाल निवासर चक रमाणा तहसील पीलीबंगा, हनुमानगढ़। 17/3 [illegible] देवी पत्नी सुरजा राम जाति नायक निवासी 2 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर [illegible] चक रमाणा तहसील पीलीबंगा, हनुमानगढ़। 17/4 [illegible] देवी पत्नी [illegible] सुरजा राम जाति नायक निवासी 2 ओ ए तहसील [illegible]नपुर।-फौत 17/4/1.संदीप कुमार पुत्र र-मा देवी जाति नायक निवासी 2 ओ ए तहसील श्रीकरन[illegible] हाल निवासर चक रमाणा तहसील पीलीबंगा, हनुमानगढ़। 18. सरवन कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति नायक निवासी 2 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर। 19. हंसराज पुत्र मनफूल राम जाति नायक निवासी 2 ओ ए तहसील श्रीकरनपुर।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:24:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राज
श्री करणपुर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 30.10.2023

उपस्थितः1. श्री इन्द्राज कुमार सेजू अधिवक्ता वादीगण

——निर्णय——

दिनांकः24.04.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 2 ओ, पटवार हल्का 10 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 101/75 के मुरब्बा नम्बर 40 की कुल 6.072 हैक्टेयर नहरी भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में वादी मूला राम पुत्र लेखूराम के नाम 0.892 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। राजस्व अभिलेख में वादी अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त दर्ज है और उसका आज तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। उक्त कृषि भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपनी सुविधाओ के अनुसार एवं आपसी मौखिक बंटवारा के अनुसार काबिज काश्त है। मौखिक बंटवारानामा अनुसार वादी मूलाराम को चक 2 ओ के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 7 की 0.108 हैक्टेयर, किला नम्बर 8 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 की 0.025 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता कुल 0.892 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। इस प्रकार से उपरोक्त वर्णित मुरब्बा के किलाजात पर वादी का कब्जा काश्त काफी समय से निरंतर, निर्बाध, शांतिपूर्वक चला आ रहा है, लेकिन वादी का उक्त रकबा संयुक्त खाता में अंकित होने के कारण वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी खाता विभाजन हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। वादी ने आज से 20रोज पूर्व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 2 ओ के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 7 की 0.108 हैक्टेयर, किला नम्बर 8 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 की 0.025 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता कुल 0.892 हैक्टेयर भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 16, 17/1 ता 17/3, 18, 19 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहता है। लिहाजा वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित ... डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 2 ओ, पटवार हल्का 10 ओ ... भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर ... 2076 ता 2079 के खाता संख्या 101/75 के मुरब्बा नम्बर 40 की कुल ... हैक्टेयर भूमि में से वादी मूलाराम के नाम 0.892 हैक्टेयर भूमि चक 2 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 101/75 के मुरब्बा नम्बर 40 की कुल 6.072 हैक्टेयर भूमि में से वादी मूलाराम के नाम 0.892 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:24:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस वादी अधिवक्ता व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 2 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 101/75 के मुरब्बा नम्बर 40 की कुल 6.072 हैक्टेयर भूमि में से वादी मूलाराम के नाम दर्ज 0.892 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

. .	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	मूला राम पुत्र लेखूराम जाति नायक निवासी 2 ओ ए तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। (0.892 हैक्टेयर)	2 ओ	40	2 7 8 9 10	0.025 हैक्टेयर 0.108 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	0.21 0.90 2.10 2.10 2.10

ेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ वेभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा नाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता ाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 24.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:24:42 IST
Reason: SelfAttested